

अनुदान संख्या 39 – पेंशन
GRANT No. 39- PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	400,00,00	337,19,07	-62,80,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	56473,12,00		
			63605,12,00	64347,68,55
पूरक	Supplementary	7132,00,00		+742,56,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन मुख्य रूप से पेंशनों, उपदानों, पेंशनों के सरांशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों में अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम – सरकारी भविष्य निधियों, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम, निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम तथा जिसमें भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूली गई पेंशनों भी शामिल हैं, के लिए था।
1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions, Gratuities, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme – Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and include Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution,.
2. अनुदान के प्रभारित भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः—
2. In the *charged* portion of grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	शीर्ष Head	कुल अनुदान Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits	39990.00	33700.47	-6289.53
(I) ₹3.00 लाख का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।	(I) "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः	(I) Appropriation of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.	(II) Under "Civil" savings occurred under the following heads:-	
(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - ₹1253.01 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और	(ख) "उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार - राज्य सरकार (सरकारों) से वसूले जाने योग्य "उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार" - ₹5464.90 लाख की बचत (₹23037.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।	(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions"- saving of ₹1253.01 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹4400.00 lakhs); and	(B) "Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s)"- saving of ₹5464.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹23037.00 lakhs).	
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बैंकों से कम स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुई।	उपर्युक्त बचतें "सिविल" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः	Savings under the above two heads were due to receipt of less scrolls from banks.	3. The above savings were partly offset by excess under "Civil" - under the following heads:-	
(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹537.13 लाख बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत विनियोग का 34 प्रतिशत और 95 प्रतिशत थीं।	(I) "उपदान - सामान्य पेंशन" - ₹951.23 लाख का अधिक व्यय (₹2723.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ।	(III) Under two heads savings of ₹537.13 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 34 percent and 95 percent of the sanctioned appropriation.	(I) "Gratuities - Ordinary Pensions" - excess of ₹951.23 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹2723.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls.	

(II) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – सामान्य लाभ" – ₹563.31 लाख का अधिक व्यय (₹2200.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के प्रभारित अंश में, यद्यपि ₹713200.00 लाख का पूरक अनुदान मार्च, 2022 में प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹74256.55 लाख तक अधिक था (वास्तविक अधिक व्यय ₹7,42,56,55,188 था। अधिक व्यय को संसद द्वारा अधिक अनुदान मांगों की स्वीकृति द्वारा वि. नियमित करने की आवश्यकता है।

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ/ हुईं:

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"	
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pension and other Retirement benefits	
मू.	O.	5642824.00
पू.	S.	713200.00
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"	
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	

(I) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत – अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते" –

(II) "Leave Encashment Benefits – Ordinary Pensions"- excess of ₹563.31 lakhs (against the total sanctioned appropriation of ₹2200.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

4. In the voted portion of the grant, although supplementary grant of ₹713200.00 lakhs was obtained in March, 2022, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹74256.55 lakhs (actual excess was ₹7,42,56,55,188). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

6356024.00	6429862.37	+73838.37
------------	------------	-----------

4488.00	4906.18	+418.18
---------	---------	---------

(I) Under Major Head "2071" – "Civil" – excess occurred under the following heads:-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances" -

- (क) "साधारण पेंशन" – ₹48267.76 लाख का अधिक व्यय (₹496000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2960175.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ।
- (ख) "साधारण पेंशन (एआईएस)" – ₹6811.14 लाख का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षाकृत अधिक दावे/बुकिंग प्राप्त होने के कारण हुआ।
- (खा) "उपदान – साधारण पेंशन" – ₹10384.40 लाख का अधिक व्यय (₹82000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹534005.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (गा) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹36456.45 लाख का अधिक व्यय (₹63000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹841037.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अपेक्षाकृत अधिक स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ।
- (घा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन" – ₹12041.12 लाख का अधिक व्यय (₹39300.00 लाख की पूरक अनुदान सहित ₹279300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।
- (ङ) "निश्चित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान" – ₹7946.32 लाख का अधिक व्यय (₹9600.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹709600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनपीएस में सरकारी अंशदान के लिए अपेक्षाकृत अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।
- (a) "Ordinary Pensions" - excess of ₹48267.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2960175.00 lakhs including supplementary grant of ₹ 496000.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls from banks.
- (b) "Ordinary Pensions (AIS)" – excess of ₹6811.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs including supplementary grant of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of more claims/bookings from Ministries/ Departments.
- (B) "Gratuities – Ordinary Pensions" – excess of ₹10384.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹534005.00 lakhs including supplementary grant of ₹82000.00 lakhs); and
- (C) "Family Pensions – Family Pensions" - excess of ₹36456.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹841037.00 lakhs including supplementary grant of ₹63000.00 lakhs).
- Excess under the above two heads were due to receipt of more scrolls.
- (D) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - excess of ₹12041.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹279300.00 lakhs including supplementary grant of ₹39300.00 lakhs) was due to receipt of more claims.
- (E) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution" - excess of ₹7946.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹709600.00 lakhs including supplementary grant of ₹9600.00 lakhs) was due to requirement of more funds towards Government Contribution to NPS.

(च) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से वसूलीयोग्य पेंशन प्रभार" – ₹20329.47 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख की पूरक अनुदान सहित ₹360000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना – सरकारी भविष्य निधि – सामान्य भविष्य निधि की निक्षेप सहबद्ध बीमा संशोधित योजना" – ₹541.81 लाख का अधिक व्यय (₹4118.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षाकृत अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

5. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया: –

(I) ₹51.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन (एआईएस)" – ₹7524.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8524.00 लाख किया गया। तथापि, ₹1501.16 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" – के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) "उपदान – सामान्य पेंशन (एआईएस)" – ₹7500.00 लाख के मूल प्रावधान ₹3400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10900.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹2994.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(F) "Pensionary charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT Delhi - Pensionary charges recoverable from Govt. of NCT Delhi" - excess of ₹20329.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹360000.00 lakhs including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of more scrolls from banks.

(II) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Deposit Linked Insurance Scheme-Government Provident Funds – Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" – excess of ₹541.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4118.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

5. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of ₹51.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under Major Head "2071" – "Civil - Leave Encashment Benefits – Ordinary Pensions (AIS)" – the original provision of ₹7524.00 lakhs was augmented to ₹8524.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1501.16 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less claims.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2071" – "Civil" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Gratuities – Ordinary Pensions (AIS)" – the original provision of ₹7500.00 lakhs was augmented to ₹10900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3400.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2994.00 lakhs;

(खा) "परिवार पेंशन" –

(क) "साधारण पेंशन (एआईएस) – ₹7000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9400.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹2081.73 लाख तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) "नई निश्चित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) साधारण परिवार पेंशन के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता पर अतिरिक्त राहत" – ₹13000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14000.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹531.87 लाख तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(का) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹57114.62 लाख की बचत (₹500000.00 के लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे/स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) "विधायकों को पेंशन – संसद सदस्यों को पेंशन" – ₹1753.61 लाख की बचत (₹9620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम स्क्राल प्राप्त होने के कारण हुईं।

(गा) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष अधिशेष के रूप में घोषित वीआरएस से उत्पन्न अनुग्रह राशि का भुगतान – सामान्य पेंशन" – ₹838.54 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(B) "Family Pensions" –

(a) "Ordinary Pensions (AIS) - the original provision of ₹7000.00 lakhs was augmented to ₹9400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2400.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2081.73 lakhs; and

(b) "Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension Scheme (NPS) Ordinary Family Pensions" - the original provision of ₹13000.00 lakhs was augmented to ₹14000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹531.87 lakhs.

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims.

(IV) Under Major Head "2071" – "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹57114.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs) was due to receipt of less claims/scrolls.

(B) "Pensions to Legislators – Members of Parliament" - saving of ₹1753.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9620.00 lakhs) was due to receipt of less scrolls.

(C) "Ex-Gratia Payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as Surplus – Ordinary Pensions" - saving of ₹838.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹706.46 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 63 प्रतिशत है।

(V) Under two heads savings of ₹706.46 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituted 15 percent and 63 percent of the sanctioned provision.
